

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :- ग्रामीण 65/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
वास्तु हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. प्रथम तल, मरुधर प्लाजा, श्याम नगर, सोडाला, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्रीराम धुधवाल		<ul style="list-style-type: none"><li>गणेश राम सैन पुत्र बुलाराम सैन 79, राजपूतों का बास झालामण्ड गांव जोधपुर</li><li>आशा देवी प्लॉट नम्बर 79, राजपूतों का बास झालामण्ड गांव जोधपुर</li></ul>



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :- 10/7/24

1-श्री चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

## आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण गणेश राम सैन पुत्र बुलाराम सैन व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 9,00,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण गणेश राम सैन पुत्र बुलाराम सैन की जायदाद आवासीय सम्पत्ति पट्टा न. 61 खसरा संख्या 444(बुक संख्या-12, मिसल संख्या-14/2017-18 संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.07.2017 को ग्राम पंचायत झालामण्ड द्वारा जारी) ग्राम एवं ग्राम पंचायत झालामण्ड, लूणी जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 729.89 वर्ग फीट या 81.09 वर्गगज, जिसके उत्तर में रामेश्वरलाल पुत्र बुलाराम सैन का मकान, दक्षिण में अमर सिंह पुत्र जसराज सिंह रा.रा. का मकान, पूर्व में निकाल दरवाजा एवं रास्ता व पश्चिम में जवरीलाल का मकान आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के

नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 16.01.2024 तक 9,63,809/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्मलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 9,00,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 16.01.2024 तक 9,63,809/- रुपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष गणेश राम सैन पुत्र बुलाराम सैन द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद गणेश राम सैन पुत्र बुलाराम सैन की जायदाद आवासीय सम्पत्ति पट्टा न. 61 खसरा संख्या 444(बुक संख्या-12, मिसल संख्या-14/2017-18 संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.07.2017 को ग्राम पंचायत झालामण्ड द्वारा जारी) ग्राम एवं ग्राम पंचायत झालामण्ड, लूणी जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 729.89 वर्ग फीट या 81.09 वर्गगज जिसके उत्तर में रामेश्वरलाल पुत्र बुलाराम सैन का मकान, दक्षिण में अमर सिंह पुत्र जसराज सिंह रा.रा. का मकान, पूर्व में निकाल दरवाजा एवं रास्ता व पश्चिम में जवरीलाल का मकान आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्मलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 10/11/24 को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर प्रामीण